

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2778

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जलभराव संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु योजनाएं

2778. श्री इटैला राजेंदर:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विशेषकर हैदराबाद, चेन्नई, मुम्बई जैसे महानगरों और सम्पूर्ण देश के अन्य शहरों/कस्बों में जलभराव से बचने के लिए भूमिगत नाली प्रणालियों का निर्माण करके, सड़कों की सुंदरता को बिगाड़े बिना सड़कों के नीचे नालों को परिवर्तित और बड़ा करके मौजूदा नहर पुलियों और नवनिर्मित वर्षा जल निकासी नालियों के बीच संपर्क में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अनुसार, जलापूर्ति, नहरें, जल निकासी और तटबंध राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत तूफानी वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक है जिसमें बाढ़ को कम करने और खत्म करने के लिए नालियों/तूफान जल नालियों का निर्माण और सुधार शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अमृत दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार है। अमृत के तहत, 3,018 करोड़ रूपए की लागत वाली 841 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,271 करोड़ रूपए की लागत वाली 783 वर्षा जल निकासी परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,621 जलभराव बिंदुओं को ठीक किया गया है और 1379.91 किलोमीटर नाली बनाई गई है। वर्षा जल निकासी परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में, 14 वर्षा जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 12 जलभराव स्थल ठीक हो गए हैं। तेलंगाना राज्य ने अमृत के तहत वर्षा जल निकासी के लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

अमृत 2.0 के तहत जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार मुख्य घटकों में से एक है। इसके तहत स्वीकार्य तत्वों में वर्षा जल का जलाशयों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं आ रहा है) में संचयन करना शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक 6,159 करोड़ रूपए की लागत वाली 3,078 जलाशयों के पुनरुद्धार परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। जलाशयों के पुनरुद्धार परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में 522.04 करोड़ रुपये की लागत वाली 196 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं और तेलंगाना में 380.11 करोड़ रुपये की लागत वाली 142 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 1,911.28 करोड़ रूपए की लागत से कुल 95 वर्षा जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शिका दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं:

(i) शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014:

[https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I\(2\).pdf](https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)

(ii) शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):

<http://www.tcpo.gov.in/sites/default/files/TCPO/schemes/SOP-Urban-flooding.pdf>

(iii) तूफान वर्षा जल निकासी प्रणालियों पर मैनुअल, 2019

<https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems--2019.php>

(iv) 2021 में नदी केन्द्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश, ताकि शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण के विकास में सक्षम बनाया जा सके:

<https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf>

(v) वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शक दस्तावेज़:

<https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf>

“जलभराव संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु योजनाएं” विषयक दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - I

अमृत के अंतर्गत तृफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं की राज्यवार प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल		कार्य पूर्ण	
		परियोजनाओं की संख्या	जल भराव बिंदुओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	जल भराव बिंदुओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	11	8	11
2	आंध्र प्रदेश	14	12	4	6
3	अरुणाचल प्रदेश	3	10	3	10
4	बिहार	3	23	2	१३
5	दिल्ली	3	17	3	17
6	गुजरात	36	245	33	233
7	हरियाणा	19	306	18	241
8	हिमाचल प्रदेश	10	244	9	244
9	जम्मू और कश्मीर	36	179	36	179
10	कर्नाटक	84	128	83	128
11	केरल	536	1415	504	1271
12	मध्य प्रदेश	23	223	22	206
13	महाराष्ट्र	1	20	1	20
14	मिजोरम	3	0	3	0
15	नागालैंड	8	18	3	0
16	राजस्थान	6	30	6	30
17	सिक्किम	25	853	25	853
18	उत्तराखंड	16	104	15	103
19	पश्चिम बंगाल	7	68	5	56
	कुल	841	3906	783	3621

“जलभराव संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु योजनाएं” विषयक दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2778 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ

राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएँ			
	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु. में)	क्षेत्र (वर्ग किमी में)	प्रस्तावित मात्रा (एमएल)
आंध्र प्रदेश	196	522.04	81.68	4,105,794.64
अरुणाचल प्रदेश	4	12.32	0.12	118,060.21
असम	34	18.48	1.56	656,598.96
बिहार	7	11.64	2.56	43,211.18
छत्तीसगढ़	60	49.68	1.54	1,901,285.00
दिल्ली	45	157.30	0.50	757,254.70
गोवा	2	11.96	0.02	60,765.12
गुजरात	188	650.93	26.45	3,178,815.95
हिमाचल प्रदेश	19	8.39	2.11	11,475.86
जम्मू और कश्मीर	50	19.29	1.25	152,375.55
झारखंड	70	106.28	2.53	578,325.91
कर्नाटक	203	542.27	41.02	2,132,098.30
केरल	371	145.08	3.38	2,130,087.92
लद्दाख	1	3.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	430	511.75	89.48	6,416,623.75
महाराष्ट्र	99	1,555.01	56.94	2,452,315.66
मणिपुर	21	4.28	0.26	151,934.47
मिजोरम	73	12.00	3.80	232.50
नागालैंड	1	0.76	0.03	31,961.99
ओडिशा	137	184.31	8.33	3,663,689.53
पुदुचेरी	9	9.17	1.05	50,354.51
पंजाब	23	57.24	0.82	503,582.99
राजस्थान	98	356.33	23.07	2,032,020.98
सिक्किम	1	1.25	0.18	3.50
तमिलनाडु	474	229.19	20.83	7,019,605.78
तेलंगाना	142	380.11	63.55	1,461,092.15
त्रिपुरा	9	22.46	0.11	63,784.16
उत्तर प्रदेश	194	385.64	3.30	3,979,023.21
पश्चिम बंगाल	117	191.13	38.72	2,893,471.86
कुल योग	3,078	6,159.29	475.19	46,545,846.31

“जलभराव संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु योजनाएं” विषयक दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - III

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत तृफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	कुल	
		सं.	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1	अरुणाचल प्रदेश	2	35.51
2	बिहार	2	313.68
3	छत्तीसगढ़	9	73.9
4	गुजरात	5	244.38
5	हरियाणा	1	8.35
6	झारखंड	1	46.67
7	कर्नाटक	12	109.57
8	केरल	1	10
9	मध्य प्रदेश	4	98.81
10	महाराष्ट्र	1	31.85
11	ओडिशा	1	83.68
12	पुदुचेरी	20	73.37
13	पंजाब	2	22.21
14	राजस्थान	1	2.88
15	तमिलनाडु	23	433.6
16	तेलंगाना	1	189.79
17	त्रिपुरा	5	5.12
18	उत्तर प्रदेश	4	127.91
कुल		95	1911.28